FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0243 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/10/2024 12:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 06/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 06/09/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/10/2024 **Time (समय):** 12:10 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/10/2024 12:28:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 250 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** RAILWAY PLAT FORM NO.1, KOTA JUNCTION,KOTA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DESHRAJ GURJAR

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 22/01/1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE JHADISA, TODABHIM, GANGAPUR CITY, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE JHADISA, TODABHIM, GANGAPUR CITY, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH CHOUBEY		पिता:SHIMBHU DAYAL CHOUBEY	1. WARD NO-17,ADARESH VIDHYA MANDIR,SINGHL MOHALLA,BANDIKUI,BANDIKUI (DAUSA),DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,76,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,76,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय निवेदन है कि दिनांक 06.09.2024 को समय 11.00 एएम पर श्रीमान अतिक्ति पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा को विशेष सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि श्री दिनेश चौबे हाल प्रवर्तन अधिकारी कार्यालिय जिला रसद अधिकारी बारां एक भ्रष्ट अधिकारी हैं तथा उसने पूर्व में राशन डीलरों सें अवैध कमीशन की राशि प्राप्त कर अकूत धन सम्पदा इकट्टी कर रखी हैं तथा आज दिनांक 06.09.2024 को बारां जिले के राशन डीलरों से इस माह की मासिक बंदी लेकर बारां से बस से करीबन एक घण्टे पहले जयपुर के लिए रवाना हो गया हैं। सूत्र सूचना विश्वसनीय होने सें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा ने मन देशराज पुलिस निरीक्षक को सूत्र सूचना सें अवगत कराया तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये, सूत्र सूचना के मुताबिक संदिग्ध अधिकारी श्री दिनेश चौबे, प्रवर्तन निरीक्षक, हाल प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी बांरा की चेकिंग तुरन्त की जानी आवश्यक होने एवं समयाभाव के कारण न्यायालय सें सर्च वारण्ट प्राप्त किया जाना संभव नहीं होने सें मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल वृत्त कोटा सें दो स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन खींची एंव रिकुं कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता को तलब किया, चुंकि संदिग्ध अधिकारी जयपुर जाने के लिए बारां सें बस से रवाना हुआ, जिसको अधिक समय हो गया था, संदिग्ध अधिकारी दिनेश चौबे वर्तमान में कोटा पहुंच, कोटा से बस या ट्रेन सें जयपुर जा सकता था इसलिए सूचना के क्रम में श्री अनीष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, श्री बृजराज सिंह, हैड कानि. 144 एवं श्री बबलेश कानि. 261 को संदिग्ध अधिकारी की जानकारी देकर रेल्वे स्टेशन कोटा के लिए प्राईवेट वाहन सें रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक देशराज मय दोनों स्वतंत्र गवाहन मय जाब्ता श्री गोपाल लाल, स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि.140, श्री अभिषेक कानि. 197 मय आकस्मिक चैंकिंग में काम आने वाले उपकरणों यथा लेपटोप प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी वाहन बोलेरा मय चालक श्री महेन्द्र सिंह कानि. 507 के कोटा जयपुर मार्ग पर संदिग्ध अधिकारी की तलाशी हेतु नयापुरा कुन्हाडी क्षैत्र के लिए रवाना हुए। कुछ समय बाद श्री अनीष अहमद उप अधीक्षक पुलिस ने जरीये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध हुलिया का व्यक्ति प्लेट फार्म नं. 1 महिला प्रतिक्षालय में बैठा हुआ था, ट्रेन के आने पर बैठने के लिए नीले रंग का बैग साथ लेकर जाने लगा तो हमने डिटेन कर लिया है। इस पर समय 12.55 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक देशराज मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के रेल्वे स्टेशन प्लेट फार्म नं. 1 पर महिला प्रतीक्षालय में पहुंचा, जंहा श्री अनीष अहमद ने, आसमानी नीले रंग की शर्ट एवं हरे रंग की पेंट पहने हुये व्यक्ति जिसके पास नीले रंग का वोल्सन कम्पनी का बैग रखा हुआ था की ओर इशारा कर बताया कि ये ही दिनेश चौबे, प्रवर्तन अधिकारी बांरा है। इस पर मैंने अपना एवं हमराही जाप्ते का परिचय देते हुये आने का मन्तव्य बताया तथा संदिग्ध से अपना नाम पता पूछा तो वह घबराते हुए इधर उधर देखने लग गया तत्पश्चात अपना नाम श्री दिनेश चौबे हाल प्रवर्तन निरीक्षक बारां, होना बताया। इस पर संदिग्ध दिनेश चौबे प्रवर्तन निरीक्षक के गहरे नीले रंग के बैग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह मेरा बेग नहीं है, मुझे पता नहीं है ये किसका बेग है। बार-बार पूछने पर भी संदिग्ध यही बात दोहराता रहा कि यह बेग मेरा नहीं है मेरे पास कोई बेग नहीं है। इस पर उक्त बेग की स्वतंत्र गवाह श्री रिकुं कुमार गुप्ता से हमराही जाप्ता के समक्ष तलाशी लिवाई गई तो बैग की साईड की जेब में एक पानी की बोतल रखी हुई थी। बैग को खोला तो बेग में से डार्क ब्राउन रंग की एक डायरी मिली जिसके प्रथम पृष्ठ पर'दिनेश चौबे प्रवर्तन निरीक्षक बारां DSO office [redacted]' लिखा हुआ है, डायरी में माननीय विधायक श्री राधेश्याम बैरवा, विधायक, बारां-अटरू राजस्थान का श्रीमान खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर के नाम लेटर पेड पर दिनेश चौबे को पदौन्नति उपरांत जिला रसद कार्यालय बारां में यथावत रखने की डिजायर लिखी हुई है का पत्र, दिनेश चौबे द्वारा प्रवर्तन अधिकारी पद पर ड्यूटी ज्वानिगं करने का दिनांक 04.09.2024 के प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति मय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर का प्रवर्तन निरीक्षकों को प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने के आदेश क्रमांक एफ 2(08) खा.वि./स्था.प्र./2001 दिनांक 03.09.2024 की फोटो प्रति, FPS-wise StockLifting Details उचित मूल्य की दुकान लेम्पस बीलखेडा डांग ब्लॉक शाहबाद (जिला-बारां) गेहूं स्टॉक एवं वितरण का विवरण किलो ग्राम में माह वार सूची, दिनेश चौबे का डॉ.पुनीत भार्गव द्वारा लिखी गई दवाईयों का दिनांक 30.03.2024 का पर्चा जिस पर संदिग्ध दिनेश चौबे का नाम अंकित है। बैग में अन्य सामान खाने का टिफिन, एक छोटा डब्बा एवं एक प्लास्टिक की डब्बी, दो शर्ट, एक टी शर्ट, दिनांक 06.09.2024 का कोटा सें जयपुर सैकण्ड क्लास की सुपर फास्ट टिकट एवं एक गहरे नीले रंग

का पेन्ट मिला। पेंट की सामने की दाहिनी जेब, बांयी जेब एवं पीछे की दाहिने जेब से 500-500 रूपये के 313 नोट 200-200 रूपये के 65 नोट एवं 100-100 रूपये के 65 नोट कुल राशि 1,76,000/रूपये रखे हुये मिले, जिन्हे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री नवीन खीची के पास रखवाये गये। इसके बाद पुनः संदिग्ध दिनेश चौबे से बेग में मिली राशि एवं कागजात के बारे में पूछा गया तो संदिग्ध ने पुनः बताया कि यह बेग मेरा नहीं है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने पूछा कि ये बेग आपका नहीं हैं तो ये राशि एवं आपसें संबंधित कागजात इस बेग में कैसे आये इस पर संदिग्ध दिनेश चौबे ने पुनः बताया कि मुझे पता नहीं है ये कंहा से इस बेग में आये है। तत्पश्चात संदिग्ध दिनेश चौबे की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नवीन खींची से लिवाई गई को पहने हुये कपडे में सामने की जेब में मोबाईल सेमसंग कम्पनी का बरंग काला, बायें हाथ में चेन वाली घडी, पेन्ट की पीछे की जेब में डार्क ब्राउन रंग का पर्स जिसमें 100 रूपये के 06 नोट, 20 रूपये का 01 नोट एंवं 10 रूपये का 01 नोट कुल राशि 620 रूपये, आधार कार्ड, विभागीय पहचान पत्र, रेल्वे मासिक पास, एसबीआई का एटीएम कार्ड आदि मिले। दौराने आकस्मिक चैकिंग में मिले 1,76,000 रू. के बारे में श्री दिनेश चौबे द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने तथा सूत्र सूचना के मुताबिक राशि संदिग्ध होने सें तथा बेग को अपना नहीं बताने के कारण बेग, डायरी, कागजात, कपडे, टिपिन, दिनांक 06.09.2024 का कोटा सें जयपुर सैकण्ड सुपर फास्ट टिकट एवं अन्य सामन को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया, बैग में मिली पानी की बोतल को खाली होने के कारण मौके पर छोडा गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक सदिंग्ध सें आवश्यक पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही के लिए मय स्वतंत्र गवाहान मय संदिग्ध श्री दिनेश चौबे मय हमराही जाब्ता मय आवश्यक उपकरणों, जामा तलाशी एवं जब्तशुदा आर्टिकल के प्राईवेट एवं सरकारी वाहन सें रवाना होकर एसीबी कार्यालय कोटा पहुंचा। श्री दिनेश चौबे सें पुनः पूछताछ की गई तो श्री दिनेश चौबे ने पुनः पूर्व में कहे गये कथनों को दोहराया तथा हाथ जोडने लग गया। इस पर पर्स में मिली राशि 620 रू.मय पर्स, आधार कार्ड, विभागीय पहचान पत्र, मोबाईल, रेल्वे मासिक पास, एसबीआई एटीएम को स्वंतत्र गवाह सें प्राप्त कर संदिग्ध को वापस लौटाये गये। श्री दिनेश चौबे के विभागीय पहचान पत्र, एटीएम कार्ड, रेल्वे मासिक पास एवं आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल पत्रावली की गई। दौराने खाना तलाशी शिष्टता एंव शालीनता पूर्वक व्यवहार किया गया। श्री दिनेश चौबे के आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग मोबाईल में मेमोरी कार्ड लगाकर करवाई गई थी, जिससे उक्त मेमोरी कार्ड एवं मैमोरी कार्ड से वीडियो रिकार्डिंग की कॉपी पेस्ट कर तैयार की गई पेन ड्राईवों को जर्ये फर्द जप्त किया गया एवं बाद कार्यवाही आरोपी श्री दिनेश चौबे को ब्यूरो कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। चूंकि रेल्वे स्टेशन कोटा पर सी.सी.टी.वी. केमरे लगे हुये हैं, अतः संदिग्ध के रेल्वे स्टेशन के अन्दर आने तथा महिला प्रतिक्षालय में बैठने के संबंध में सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त करने हेतु पत्र क्रमांक 2041 दिनांक 06.09.2024 श्रीमान निरीक्षक, आरपीएफ, पोस्ट, कोटा के नाम प्रेषित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में रेल्वे स्टेशन के मुख्य द्वार एवं प्लेटफार्म नं.1 के महिला प्रतीक्षालय के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज प्राप्त हुए जिनको प्ले करके देखा गया तो उक्त आरोपी दिनेश चौबे मुख्य द्वार से बैग के साथ रेल्वेस्टेशन प्लेटफार्म नं.1 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तथा महिला प्रतीक्षालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में महिला प्रतीक्षालय में नीले बैग के साथ प्रवेश करते हुए तथा ट्रेन आने पर ट्रेन में बैठने के लिए जाते हुए तथा एसीबी जाप्ते द्वारा उसे संदिग्ध होने से रोक कर वापस महिला प्रतीक्षालय में ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिनेश चौबे के पास वही बैग मौजूद है जो उसकी आकस्मिक चैकिंग के दौरान उसके पास रखा था। उक्त बैग को आरोपी दिनेश चौबे ने कभी कंधे पर लटकाया तथा कभी हाथ में पकडा हुआ सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिससे स्पष्ट है कि जिस बैग में संदिग्ध 176000 रूपये की राशि मिली, वह बैग दिनेश चौबे का ही था, जो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के कब्जे में दिखाई दे रहा है। उपर्युक्त आकस्मिक चैकिंग व उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दौराने आकस्मिक चैकिंग श्री दिनेश चौबे, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां के कब्जे से कुल राशि 1,76000 /रूपये मिली है। उक्त राशि के प्राप्ति स्त्रोंत के बारे मे संदिग्ध द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया है तथा सूत्र सूचना के मुताबिक उक्त राशि संदिग्ध श्री दिनेश चौबे, द्वारा भ्रष्ट आचरण कर राशन डीलरों सें अवैध कमीशन के रूप में मासिक बंधी लेकर एकत्रित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। इस प्रकार श्री दिनेश चौबे ने अपने पद का दुरूपयोग कर राशन डीलरों से अवैध कमीशन के रूप में मासिक बंधी लेने, आरोपी के कब्जे वाले बैंग से 176000 रूपये नगद बरामद होने, राशि के स्त्रोत के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने, सीसीटीवी फुटेज में रेल्वेस्टेशन में आरोपी के प्रवेश से बरामदगी तक आरोपी का नीले रंग का बैग आरोपी के कब्जे में होने की पुष्टी होने, उक्त बैग में आरोपी से संबंधित दस्तावेजात -(आरोपी का नाम व पद लिखी डायरी, आरोपी को पदोन्ती पश्चात बारां में यथावत रखने की डिजायर का पत्र, आरोपी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी के पद पर ड्यूटी ज्वाईनिंग करने का प्रार्थना पत्र मय पदोन्नती आदेश, आरोपी की दवाईयों का चिकित्सक द्वारा लिखा गया पर्चा, कोटा से जयपुर जाने का टिकिट आदि) मिलने से संदिग्ध श्री दिनेश चौबे, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां का उक्त कृत्य धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः श्री दिनेश चौबे पुत्र श्री शिम्भुदयाल चौबे उम्र 49 साल निवासी वार्ड नम्बर 17 आदर्श विद्या मंदिर के पास, सिंघल मौहल्ला, बांदीकुई, जिला दौसा हाल प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां के विरूद्ध अपराध धारा-13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) के

तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से आरोपी श्री दिनेश चौबे पुत्र श्री शिम्भुदयाल चौबे उम्र 49 साल निवासी वार्ड नम्बर 17 आदर्श विद्या मंदिर के पास, सिंघल मौहल्ला, बांदीकुई, जिला दौसा हाल प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (देशराज) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा.........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देशराज,पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा-13(1)(बी),13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश चौबे पुत्र श्री शिम्भुदयाल चौबे उम्र 49 साल निवासी वार्ड नम्बर 17 आदर्श विद्या मंदिर के पास, सिंघल मौहल्ला, बांदीकुई, जिला दौसा हाल प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 967 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1317-20 दिनांक 30-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2-अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/10/2024 12:31:09

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्रक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/08/1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)